[2021] 3 उम. नि. प. 343

कृष्ण गोपाल तिवारी और एक अन्य

बनाम

भारत संघ और अन्य

[2021 की सिविल अपील सं. 4744]

13 अगस्त, 2021

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना

उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) – धारा 4(2), (3) [सपठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(ii)] – उपदान का संदाय – भारत सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञापन जारी करके 1 जनवरी, 2007 से केंद्रीय सेक्टर के उद्यमों के कर्मचारियों के लिए उपदान के संदाय को 3.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाना – स्रोत पर आयकर की कटौती किया जाना – बाद में उपदान संदाय अधिनियम में संशोधन करके तारीख 24 मई, 2010 से उपदान के संदाय की सीमा को दस लाख रुपए किया जाना – अपीलार्थियों द्वारा अधिनियम के उक्त संशोधन को 1 जनवरी, 2007 से भविष्यलक्षी रूप से प्रवृत्त करने के लिए रिट याचिका फाइल किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका खारिज किया जाना – अपील – संशोधनकारी अधिनियम द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग करते हुए कार्यपालिका द्वारा 24 मई, 2010 के रूप में नियत कट-आफ तारीख को भविष्यलक्षी रूप से नहीं समझा जा सकता है और पूर्व में कार्यालय ज्ञापन के अधीन संदत्त की गई वर्धित उपदान की रकम आयकर अधिनियम की धारा 10(ii) की विनिर्दिष्ट भाषा को देखते हुए कर की कटौती से छूट-प्राप्त नहीं है ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी कोल इंडिया लि. के कर्मचारी हैं । भारत सरकार ने कोल इंडिया लि. जैसे केंद्रीय सेक्टर के उद्यमों, जहां अपीलार्थी नियोजित थे, के कार्यपालकों (एग्जीक्यूटिव) और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों के लिए उपदान की वृद्धि को अनुमोदित किया

था । भारत सरकार के तारीख 26 नवंबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन के निबंधनों के अनुसार तारीख 1 जनवरी, 2007 से उपदान की अधिकतम सीमा 3.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया था । अपीलार्थियों को इस कार्यालय ज्ञापन के निबंधनों के अनुसार ऐसे उपदान का संदाय किया गया था और उपदान संदाय अधिनियम में नियत अधिकतम 3.50 लाख रुपए की सीमा से अधिक की रकम पर आयकर अधिनियम की धारा 10(ii) के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती की गई थी । तथापि, बाद में, उपदान संदाय अधिनियम को 2010 के केंद्रीय अधिनियम सं. 15 द्वारा संशोधित किया गया था और संशोधनकारी अधिनियम द्वारा उपदान संदाय की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया था । इस संशोधन को तारीख 24 मई, 2010 से प्रवृत्त किया गया था । अपीलार्थियों द्वारा उक्त कट-आफ तारीख को 1 जनवरी, 2007 से लागू करने का दावा करते हुए उच्च न्यायालय में रिट याचिका फाइल की गई । उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया गया । अपीलार्थियों द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – उपदान अधिनियम, 1972 की धारा 4 की उपधारा (5) नियोजक के साथ किसी पंचाट या संविदा के अधीन उपदान के बेहतर निबंधन प्राप्त करने के कर्मचारी के अधिकार को संरक्षित करती है । अपीलार्थियों को तारीख 26 नवंबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन के आधार पर संदत्त उपदान उक्त उपधारा के अंतर्गत आएगा । तथापि, आयकर अधिनियम से जो रकम छूट-प्राप्त है वह उपदान अधिनियम के अधीन उस सीमा तक प्राप्त उपदान की रकम है जो उपदान अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) और (3) के उपबंधों के अनुसार परिकलित रकम की सीमा से अधिक नहीं है । उपदान अधिनियम में उपदान की रकम के रूप में केवल तारीख 24 मई, 2010 से दस लाख रुपए अनुध्यात हैं । ऐसा उपदान वह रकम है जो केवल एक बार संदेय है । इस प्रकार, इसका एक बार संदाय होने के कारण कट-आफ तारीख को अवैध नहीं कहा जा सकता है । इसलिए उपदान अधिनियम में ऐसे संशोधन को

भूतलक्षी होना नहीं समझा जा सकता है । अत: इस कानून के उपबंधों को भूतलक्षी होना नहीं कहा जा सकता है । उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि कार्यपालिका द्वारा संशोधनकारी अधिनियम द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग करते हुए नियत की गई प्रारंभ होने की तारीख को भूतलक्षी होना नहीं समझा जा सकता है चूंकि कर्मचारियों को उच्चतर उपदान की प्रसुविधा केवल संशोधनकारी अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् एक-बारगी उपलब्ध है । अपीलार्थियों को कार्यालय ज्ञापन के अधीन संदत्त प्रसुविधा आयकर अधिनियम की धारा 10(10)(ii) की विनिर्दिष्ट भाषा को देखते हुए छूट-प्राप्त की हकदार नहीं है । (पैरा 12, 13 और 17)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2021]	(2021) 4 एस. सी. सी. 502 : **हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन और एक अन्य** बनाम **हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ** ;	16
[2015]	(2015) 1 एस. सी. सी. 1 : **आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-1, नई दिल्ली** बनाम **वाटिका टाऊनशिप प्राइवेट लिमिटेड** ;	7
[1991]	(1991) (सप्ली.) 1 एस. सी. सी. 81 : **ओरियंट पेपर एण्ड इंडस्ट्रीज लि. और एक अन्य** बनाम **उड़ीसा राज्य और अन्य** ;	15
[1988]	[1988] 4 उम. नि. प. 706 = (1988) 2 एस. सी. सी. 580 : **भारत संघ** बनाम **आल इंडिया सर्विसेज पेंशनर्स एसोसिएशन और एक अन्य** ;	11
[1986]	(1986) 3 एस. सी. सी. 501 : **स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन और अन्य** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** ;	10

[1983] [1983] 2 उम. नि. प. 1045 =
(1983) 1 एस. सी. सी. 305 :
डी. एस. नकारा और अन्य बनाम **भारत संघ** ; 8

[1976] (1976) 3 एस. सी. सी. 37 :
श्री विजयलक्ष्मी राइस मिल्स, न्यूकॉनट्रेक्टर कंपनी और अन्य बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** । 14

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2021 की सिविल अपील सं. 4744.

2011 की रिट याचिका सं. 1729 में झारखंड उच्च न्यायालय के तारीख 27 जुलाई, 2016 के आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री संजय कुमार विसेन

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री विक्रमजीत बनर्जी

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने दिया ।

न्या. गुप्ता – इस अपील में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 27 जुलाई, 2016 को पारित किए गए उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा उपदान संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2010 (संक्षेप में 'संशोधनकारी अधिनियम') को तारीख 1 जनवरी, 2007 से लागू होने की घोषणा करने के लिए अपीलार्थियों के दावे को अस्वीकार कर दिया गया था ।

2. अपीलार्थी कोल इंडिया लि. के कर्मचारी हैं । भारत सरकार ने कोल इंडिया लि. जैसे केंद्रीय सेक्टर के उद्यमों, जहां अपीलार्थी नियोजित थे, के कार्यपालकों (एग्जीक्यूटिव) और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों के लिए उपदान की वृद्धि को अनुमोदित किया था । भारत सरकार के तारीख 26 नवंबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन के निबंधनों के अनुसार तारीख 1 जनवरी, 2007 से उपदान की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया था ।

3. अपीलार्थियों को इस कार्यालय ज्ञापन के निबंधनों के अनुसार ऐसे उपदान का संदाय किया गया था । तथापि, बाद में, उपदान संदाय अधिनियम को 2010 के केंद्रीय अधिनियम सं. 15 द्वारा संशोधित

किया गया था जिसे तारीख 17 मई, 2010 को माननीय राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी । संशोधनकारी अधिनियम के सुसंगत उपबंध निम्नलिखित हैं :–

> "1(1). इस अधिनियम को उपदान संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा ।
>
> (2) यह अधिनियम उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।
>
> 2. उपदान संदाय अधिनियम, 1972 की धारा 4 की उपधारा (3) में 'तीन लाख पचास हजार रुपए' शब्दों के स्थान पर 'दस लाख रुपए' प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।"

4. संशोधनकारी अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2) के निबंधनों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा तारीख 24 मई, 2010 को उक्त तारीख ऐसी तारीख के रूप में नियत करते हुए जिसको संशोधनकारी अधिनियम प्रवृत्त हुआ, एक अधिसूचना जारी की गई थी ।

5. अपीलार्थियों की शिकायत यह है कि संशोधनकारी अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व जब अपीलार्थियों को उपदान का संदाय किया गया था तब स्रोत पर कर की कटौती की गई थी । अत: अपीलार्थियों ने तारीख 24 मई, 2010 के रूप में प्रारंभ होने की तारीख को चुनौती दी किंतु यह प्रकथन किया कि इसे तारीख 1 जनवरी, 2007 से प्रभावी किया जाना चाहिए और परिणामस्वरूप अपीलार्थी उपदान की रकम पर कर की कटौती के लिए दायी नहीं होंगे ।

6. उपदान अधिनियम के कतिपय उपबंध जो 2008 के केंद्रीय अधिनियम सं. 12 द्वारा संशोधन से पूर्व विद्यमान थे और आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'आयकर अधिनियम') के उपबंधों को उद्धृत किया जाना आवश्यक है :–

> **"उपदान संदाय अधिनियम, 1972**
>
> 4. **उपदान का संदाय** – (1) कम से कम पांच वर्ष की निरंतर सेवा कर लेने के पश्चात् कर्मचारी के नियोजन के पर्यवसान पर

उसको –

* * * *

परंतु पांच वर्ष की निरंतर सेवा का पूरा होना उस दशा में आवश्यक नहीं होगा जहां किसी कर्मचारी के नियोजन के पर्यवसान का कारण उसकी मृत्यु या नि:शक्तता है :

* * * *

(3) कर्मचारी को संदेय उपदान की रकम दस लाख रुपए से अधिक नहीं होगी ।

* * * *

(5) इस धारा की कोई बात किसी पंचाट अथवा नियोजक के साथ करार या सुविधा के अधीन उपदान के और अच्छे निबंधन प्राप्त करने के कर्मचारी के अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।"

"आयकर अधिनियम, 1961

10. **आय जो कुल आय के अंतर्गत नहीं आती है** – किसी व्यक्ति की किसी पूर्ववर्ष की कुल आय संगणित करने में निम्नलिखित खंडों में से किसी में आने वाली कोई आय सम्मिलित नहीं की जाएगी ।

* * * *

10(ii). कोई ऐसा उपदान जो उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) के अधीन प्राप्त किया गया हो, उस सीमा तक जहां तक वह उस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) और (3) के उपबंधों के अनुसार परिकलित रकम से अधिक नहीं है ;"

7. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि उपदान अधिनियम का संशोधन उदारीकृत प्रसुविधाएं प्रदान करने के लिए है । इसलिए यह भूतलक्षी होगा । **आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-1, नई दिल्ली** बनाम **वाटिका टाऊनशिप प्राइवेट लिमिटेड**[1] वाले मामले में इस

---

[1] (2015) 1 एस. सी. सी. 1.

न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया गया । पूर्वोक्त मामला आयकर अधिनियम की धारा 113 में परंतुक का अंत:स्थापन करने का है जिसमें यह उपबंध किया गया था कि उक्त धारा के अधीन प्रभार्य कर में एक अधिभार द्वारा वृद्धि की जाएगी और उस पूर्ववर्ती वर्ष के सुसंगत निर्धारण वर्ष में लागू होगा जिसमें तलाशी उक्त अधिनियम की धारा 132 के अधीन आरंभ की जाती है । उक्त उपबंध इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था । इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :–

> "31. ऐसे मामलों में, भविष्यलक्षी प्रभाव व्यक्तियों को किसी भार या दायित्व अधिरोपित करने वाले उपबंध के विरोध में फायदा देने के लिए वहां जोड़ा जाता है जहां उपधारणा भूतलक्षी प्रभाव की ओर हो । प्रस्तुत मामले में, अधिनियम की धारा 113 के साथ जोड़ा गया परंतुक निर्धारिती के लिए फायदाप्रद नहीं है । इसके विपरीत, यह ऐसा उपबंध है जो निर्धारित पर दुर्भर है । इसलिए इस जैसे मामले में हमें भूतलक्षी प्रवर्तन के विरुद्ध उपधारणा के प्रसामान्य नियम के साथ अग्रसर होना चाहिए । इस प्रकार, भूतलक्षी प्रवर्तन के विरुद्ध नियम विधि का यह मूल नियम है कि किसी कानून के बारे में तब तक उसका भूतलक्षी प्रवर्तन होने का अर्थ नहीं लगाया जाएगा जब तक ऐसा अर्थान्वयन अधिनियम के निबंधनों के अनुसार अत्यधिक स्पष्ट रूप से प्रतीत न होता हो, या आवश्यक और सुभिन्न विवक्षा द्वारा उद्भूत न होता हो । सिद्धांतवादी रूप से विरचित, यह नियम एक उपधारणा से अधिक कुछ नहीं है और इस प्रकार इसे महत्वपूर्ण कारकों द्वारा विस्थापित किया जा सकता है ।"

8. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल ने **डी. एस. नकारा और अन्य** बनाम **भारत संघ**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय को भी यह दलील देने के लिए निर्दिष्ट किया कि तारीख 24 मई, 2010 के रूप में कट-आफ तारीख ने कर्मचारियों के दो प्रवर्ग सृजित किए हैं, पहला वह जिन्होंने उक्त तारीख से पूर्व अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर

---

[1] [1983] 2 उम. नि. प. 1045 = (1983) 1 एस. सी. सी. 305.

ली है और दूसरा वह जिन्होंने तारीख 24 मई, 2002 को या इसके पश्चात् अधिवर्षिता की आयु प्राप्त की है । ऐसा वर्गीकरण अवैध और मनमानी प्रकृति का है ।

9. दूसरी ओर, संघ की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री विक्रमजीत बनर्जी ने यह दलील दी कि **डी. एस. नकारा** (उपर्युक्त) वाला मामला पेंशनभोगियों के संबंध में है, जो प्रत्येक माह आवर्ती प्रसुविधा प्राप्त करते हैं जबकि उपदान एक-बारगी संदाय है । इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि कट-आफ तारीख इसलिए है जिससे कट-आफ तारीख के पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों को फायदा प्रदान किया जा सके और कट-आफ तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों को पेंशन का फायदा देने से इनकार करना मनमाना है । इसलिए यह दलील दी गई कि उपदान का फायदा आवर्ती पेंशन के संदाय के अधिकार की बजाय एक भिन्न आधार पर टिका है । इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :–

> "38. तब ऐसी विनिर्दिष्ट तारीख विहित करने वाला क्या प्रयोजन है जिसने उन पेंशनभोगियों में जो उस तारीख से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं और उन पेंशनभोगियों में जो उस तारीख के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, एक विभाजन रेखा खींच दी है ? इसके बाद अगला प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि पेंशन स्कीम उदार क्यों बनाई गई ? पेंशन स्कीम को उदार बनाने की क्या आवश्यकता थी ?
>
> * * * *
>
> 42. यदि यह निर्विवाद प्रतीत होता है, जैसा कि हमें प्रतीत होता है कि पेंशन प्रसुविधाओं के प्रयोजन के लिए पेंशनभोगी एक वर्ग में आते हैं तो क्या इसका आगे की दशा में पुनरीक्षण करने से पात्रता की कसौटी द्वारा, जो कि पुनरीक्षण के प्रयोजन से संबद्ध नहीं है, एक वर्ग को विभाजित किया जा सकता है और क्या ऐसा वर्गीकरण किसी तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित हो सकता है ? यह सुस्थिर है कि वर्गीकरण किसी तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए और तर्कसंगत सिद्धांत का संबंध प्राप्तव्य उद्देश्यों से अवश्य होना चाहिए । हम पेंशन के संदाय में अंतर्निहित उद्देश्यों का

उल्लेख कर चुके हैं । यदि राज्य ने पेंशन स्कीम को उदार बनाना आवश्यक समझा तो हमें कोई तर्कसंगत सिद्धांत दिखाई नहीं पड़ता कि ये प्रसुविधाएं केवल उन लोगों को दी जाएं जो उस तारीख के बाद सेवानिवृत्त हों जबकि उन लोगों को उनसे वंचित रखा जाए जो उस तारीख से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं । .....।"

10. पूर्वोक्त निर्णय **स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन और अन्य** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में संप्रकाशित निर्णय में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था, जिसमें सेवानिवृत्ति की एक विनिर्दिष्ट तारीख से उपदान के संदाय को असांविधानिक न होना अभिनिर्धारित किया गया था । इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :–

"2. .....। ऐसा ही मामला उपदान के संबंध में है जिसे याचियों को तत्कालीन प्रचलित आधार पर पहले ही संदत्त किया जा चुका है जो उन्होंने अपनी-अपनी सेवानिवृत्ति की तारीखों के समय पर अभिप्राप्त किया था । यह रकम सेवानिवृत्ति की तारीख पर उनके द्वारा सेवानिवृत्ति की तारीख को लिए जाने वाले वेतन के आधार पर निश्चित हुई थी और यह रकम उन्हें उस आधार पर पहले ही संदत्त की गई है । यह संव्यवहार पूर्ण और बंद हो गया है । भविष्य में बाद में प्रतिपादित फार्मूले में उर्ध्वगामी या अधोगामी पुनरीक्षण के संदर्भ में उर्ध्वगामी या अधोगामी पुनरीक्षण करने की तब तक कोई गुंजाइश नहीं है जब तक उपबंध में इस बारे में इसके भूतलक्षी रूप से होने का अभिव्यक्त रूप से उपबंध न हो (अधोगामी पुनरीक्षण विधिक रूप से अनुज्ञेय हो भी नहीं सकता है) .....।"

11. **भारत संघ** बनाम **ऑल इंडिया सर्विसेज पेंशनर्स एसोसिएशन और एक अन्य**[2] वाले मामले में संप्रकाशित निर्णय में इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया गया था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पेंशन उस समय तक आवधिक रूप से संदेय है जब तक पेंशनभोगी

---

[1] (1986) 3 एस. सी. सी. 501.

[2] [1988] 4 उम. नि. प. 706 = (1988) 2 एस. सी. सी. 580.

जीवित है जबकि उपदान मोटे तौर पर सेवानिवृत्ति पर केवल एक बार संदत्त किया जाता है । इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :–

> "8. पूर्वगामी से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने सेवानिवृत्ति पर संदेय पेंशन और सेवानिवृत्ति पर संदेय उपदान के बीच प्रभेद किया है । जबकि पेंशन आवधिक रूप से तब तक संदेय होती है जब तक पेंशनभोगी जीवित रहता है, उपदान मामूली तौर पर सेवानिवृत्ति पर एक बार में ही संदत्त किया जाता है । इस न्यायालय का कोई भी ऐसा अन्य विनिश्चय हमारे ध्यान में नहीं लाया गया है, जिसमें **आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन** [(1986) 3 एस. सी. सी. 501] वाले मामले में न्या. ठक्कर और न्यायमूर्ति रे के विनिश्चय और **एन. एल. अभ्यंकर** [(1984) 3 एस. एस. सी. 125] वाले मामले में किए गए विनिश्चय के प्रतिकूल मत अपनाया गया है । जहां तक सेवानिवृत्ति पर उपदान का संदाय करने के लिए सरकार के दायित्व के संबंध में **डी. एस. नकरा** {[1983] 2 एस. सी. आर. 165} वाले मामले में के विनिर्णय के लागू होने का संबंध है, इन दोनों मामलों में जो मताभिव्यक्तियां की गई हैं, वे हम पर आबद्धकर हैं । हम इन विनिश्चयों में व्यक्त किए गए मत से सादर सहमत हैं । यह भी नहीं दर्शित किया गया है कि प्रश्नगत सरकारी अधिसूचना में या तो अभिव्यक्त रूप से या आवश्यक विवक्षा द्वारा यह निदेश दिया गया है कि वे व्यक्ति जो तारीख 1.1.1973 से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए थे, उपदान के रूप में कोई अतिरिक्त रकम प्राप्त करने के हकदार होंगे । अत: अभिकरण द्वारा यह मान्य ठहराना गलत था कि अखिल भारतीय सेवाओं के उन सदस्यों को, जो तारीख 1.1.1973 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे, सरकारी अधिसूचना सं. 33/22/73-एआईएससी(ii) के अनुसार उपदान संदेय था ।"

12. उपदान अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (5) नियोजक के साथ किसी पंचाट या संविदा के अधीन उपदान के बेहतर निबंधन प्राप्त

करने के कर्मचारी के अधिकार को संरक्षित करती है । अपीलार्थियों को तारीख 26 नवंबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन के आधार पर संदत्त उपदान उक्त उपधारा के अंतर्गत आएगा ।

13. तथापि, आयकर अधिनियम से जो रकम छूट-प्राप्त है वह उपदान अधिनियम के अधीन उस सीमा तक प्राप्त उपदान की रकम है जो उपदान अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) और (3) के उपबंधों के अनुसार परिकलित रकम की सीमा से अधिक नहीं है । उपदान अधिनियम में उपदान की रकम के रूप में केवल तारीख 24 मई, 2010 से दस लाख रुपए अनुध्यात हैं । ऐसा उपदान वह रकम है जो केवल एक बार संदेय है । इस प्रकार, इसका एक बार संदाय होने के कारण कट-आफ तारीख को अवैध नहीं कहा जा सकता है । इसलिए उपदान अधिनियम में ऐसे संशोधन को भूतलक्षी होना नहीं समझा जा सकता है । अत: इस कानून के उपबंधों को भूतलक्षी होना नहीं कहा जा सकता है ।

14. **श्री विजयलक्ष्मी राइस मिल्स, न्यू कॉनट्रेक्टर कंपनी और अन्य** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में संप्रकाशित इस न्यायालय के निर्णय में चावल के प्रदाय की नई दर तारीख 23 मार्च, 1964 को प्रभावी की गई थी । यह प्रश्न उठा था कि क्या पूर्व में प्रदाय किए गए चावल को तारीख 23 मार्च, 1964 की बाद की अधिसूचना में यथा अंतर्विष्ट फायदाप्रद उपबंध का फायदा प्राप्त होगा । इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जो कीमत विक्रय की तारीख को प्रचलित थी, संदेय होगी न कि संशोधन द्वारा पुर:स्थापित उच्चतर कीमत । निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था :–

> "6. प्रस्तुत मामलों में, अपीलार्थियों द्वारा पूर्वोक्त विक्रय चावल (आंध्र प्रदेश) कीमत नियंत्रण (तृतीय संशोधन) आदेश, 1964 के प्रवृत्त होने से पूर्व किया गया था और माल में की संपत्ति आंध्र प्रदेश सरकार को उन तारीखों पर सक्रांत की गई थी जब प्रदाय किए गए थे, इसलिए अपीलार्थियों को उन तारीखों को अभिप्राप्त

---

[1] (1976) 3 एस. सी. सी. 37.

होने वाली नियंत्रित कीमत संदत्त की जानी चाहिए थी जब विक्रय किए गए थे न कि वह बढ़ी हुई कीमत जो बाद में प्रवर्तन में आई थी ।"

15. **ओरियंट पेपर एण्ड इंडस्ट्रीज लि. और एक अन्य** बनाम **उड़ीसा राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में संप्रकाशित एक अन्य निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि चूंकि कार्यपालिका को अधिनियम के प्रारंभ की तारीख का चयन करने के लिए सशक्त किया गया है इसलिए ऐसे प्रत्यायोजन को अत्यधिक प्रत्यायोजन का मामला नहीं कहा जा सकता है । इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :–

"यदि धारा को शक्ति के प्रत्यायोजन के रूप में देखा जाए, तो यह विधान के पीछे की नीति को पूर्णत: प्रभावी करने के लिए सरकार को प्रदत्त एक शक्ति है । यह उस प्रयोजन की प्राप्ति को दृष्टिगत करते हुए है जिसके लिए कार्यपालिका को उन विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम को प्रवृत्त करने के लिए वह समय, स्थान और वन्य उपज का चयन करने के लिए सशक्त किया गया है जो विधान-मंडल के ध्यान में थे । ऐसी कानूनी शक्ति प्रदान करने में कोई अत्यधिक प्रत्यायोजन नहीं है । {ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्यूफैक्चरिंग कं. लि. **बनाम** विक्रय कर आयुक्त (1974) 4 एस. सी. सी. 98 = 1974 एस. सी. सी. (टैक्स) 226 = [1974] 2 एस. सी. आर. 879, हरीशंकर बाग्ला **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य [1955] 1 एस. सी. आर. 380, 388 = ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 465}"

16. **हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन और एक अन्य** बनाम **हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ**[2] वाले मामले में संप्रकाशित एक हाल ही के निर्णय में मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान की बढ़ी हुई मात्रा के संदाय के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कट-आफ तारीख को मनमाना नहीं कहा जा सकता है जो कि

---

[1] (1991) (सप्ली.) 1 एस. सी. सी. 81.

[2] (2021) 4 एस. सी. सी. 502.

वित्तीय दबाव को ध्यान में रखते हुए नियत की गई थी । इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :–

> "18. यद्यपि ऐसे मामलों की लंबी कतार है जिनमें इस न्यायालय द्वारा कट-आफ तारीख के नियतिकरण की विधिमान्यता पर विचार किया गया है, तो भी हम उस निर्णयज विधि तक सीमित रहेंगे और निर्दिष्ट करेंगे जो प्रस्तुत मामले के तथ्यों के लिए सुसंगत है । पंजाब राज्य **बनाम** अमरनाथ गोयल [(2005) 6 एस. सी. सी. 754 = 2005 एस. सी. सी. (एलएंडएस) 910] वाले मामले में मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान की बढ़ी हुई मात्रा का फायदा प्रदान करने के लिए नियत की गई कट-आफ तारीख की विधिमान्यता की परीक्षा करते हुए इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि सरकार द्वारा अभिवादित वित्तीय दबाव कट-आफ तारीख के नियतिकरण के लिए एक विधिमान्य आधार था और ऐसा नियतिकरण मनमाना, अनुचित या संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमणकारी नहीं था .....।"

17. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारा यह निष्कर्ष है कि कार्यपालिका द्वारा संशोधनकारी अधिनियम द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग करते हुए नियत की गई प्रारंभ होने की तारीख को भूतलक्षी होना नहीं समझा जा सकता है चूंकि कर्मचारियों को उच्चतर उपदान की प्रसुविधा केवल संशोधनकारी अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् एक-बारगी उपलब्ध है । अपीलार्थियों को कार्यालय ज्ञापन के अधीन संदत्त प्रसुविधा आयकर अधिनियम की धारा 10(10)(ii) की विनिर्दिष्ट भाषा को देखते हुए छूट-प्राप्त की हकदार नहीं है ।

18. परिणामतः, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश में कोई गलती नहीं पाते हैं । यह अपील खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

जस.